

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चिस्वा/2/2011

जयपुर, दिनांक : 11.07.2011

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज.
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

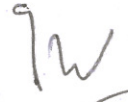
विषय:- राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 12 व 13 जुलाई, 2011 को सामूहिक अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाओं के बारे में पूर्व तैयारी के संबंध में दिशा-निर्देश।

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा मांगों पर कई बार सेवारत चिकित्सकों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता करने के बावजूद भी सेवारत चिकित्सक अपनी सम्पूर्ण मांगों को ही मनवाने पर अड़े रहे। सेवारत चिकित्सकों के द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 30.06.2011 को आकस्मिक अवकाश लेकर चिकित्सा सेवाओं को बाधित किया गया। सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 12 व 13 जुलाई, 2011 को पुनः सामूहिक अवकाश लेने की घोषणा की गई है और दिनांक 14.07.2011 को सामूहिक त्याग पत्र देने की घोषणा भी की है।

प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों के उक्त जन विरोधी कार्यक्रम से आमजन को राहत व चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएँ किया जाना तय किया गया है:-

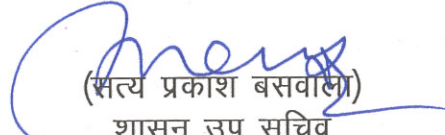
1. प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों की उक्त घोषणाओं और कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा जन विरोधी घोषित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएँ घोषित की गई हैं। चिकित्सा सेवाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए प्रदेश में राजस्थान आवश्यक सेवा मेन्टीनेन्स एक्ट (रेश्मा) के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
2. प्रदेश में सेवारत पैरा मेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ को स्वयं की अत्यधिक रुग्णावस्था के अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा पैरा मेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ का आवश्यकता अनुसार उचित वितरण कर इनकी सेवाएँ ली जावेंगी।

3. प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संचालित सभी मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय/नर्सिंग होम्स के चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की सेवाएँ भी आवश्यकता अनुसार ली जाएंगी।
4. प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संचालित सभी नर्सिंग महाविद्यालयों में कार्यरत नर्सिंग ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ नर्स, अन्य तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की सेवाओं का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जावेगा।
5. प्रदेश में संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं यथा N.S.S. Scouts Guides, N.C.C. एवं स्वयं सेवकों की भी सेवाएँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ली जा सकेंगी।
6. क्षेत्रीय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भारत सरकार, विद्याधर नगर, जयपुर को भी आदेशित किया जाता है कि विभिन्न स्तरों पर आपके अधीन चिकित्सालयों के चिकित्सक, अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ को भी इस दौरान व्यक्तिगत रूप से गहन रुग्णता के अतिरिक्त अवकाश प्रदान नहीं किया जावेगा। चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ कार्य पर रहकर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।


 (बी. एन. शर्मा)
 प्रमुख शासन सचिव
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग,
8. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
9. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
13. क्षेत्रीय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भारत सरकार, विद्याधर नगर, जयपुर
14. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
15. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित समस्त को ई-मेल द्वारा सूचित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।


 (सत्य प्रकाश बसवाल)
 शासन उप सचिव